पा0ई0डी0वि0ए0डी0 25/10/17

संख्या– 1596 बी./क0नि0–6–2017–20(बी)–15/17

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/आईटी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/कृषि/सूचना, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0।

जारी 25.10.17

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0–6 लखनऊ दिनांक: 25 अक्टूबर, 2017

विषय– प्रदेश के लघु सीमान्त किसानों के एनपीए में वर्गीकृत फसल ऋण के संबंध में एनपीए समाधान योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 1523बी/क0नि0–6–2017–01(बी)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत मामले में एनपीए समाधान योजना संलग्न कर प्रसारित करते हुये योजना के कियान्वयन के संबंध में कतिपय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह लघु एवं सीमान्त किसानों के लिये एक महत्वपूर्ण योजना है, इसलिये इस संबंध में अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि कृषकों को समयान्तर्गत समुचित लाभ यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। इसके निमित्त निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है :–

(1) एनपीए समाधान योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर, 2017 तक जनपदों द्वारा अभियान चलाकर डिमाण्ड जनरेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अपेक्षित है कि ऐसे कृषक जिनके द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रति भुगतान कर दिया गया है, उन समस्त कृषकों को बैंकों के माध्यम से बैंक के नियमानुसार अदेयता प्रमाण पत्र / नियमित आहरण अनुमन्य कर दिया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयगत मामले में उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्या– 1596 बी(1) / क0नि0–6–2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (श्री मुकेश मित्तल)

2– विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3– स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4– विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन (श्री नील रत्न)।

5– महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।

6– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।